

7/10/19

पत्रावली को देखकर पता चले कि वकीलवाले उपस्थित  
 वादीगण के द्वारा बाद की सुनवाई में निर्धारित दस्तावेजों  
 के अभाव में बाद रखा गया किया जा रहा है।  
 किन्तु निर्धारित सूचनाओं के अभाव में जाकर व्याप्त  
 पत्रावली मिल गया। उक्त सूचना के माध्यम से सुनवाई के  
 लिए सूचना देकर बाद रखा गया सुनिश्चित माना गया है।

*em*

उप खण्ड अधिकारी  
 दोसा (राज.)